तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.7.21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 20.7.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
20.7.21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित. उभय पक्षो ने बहस करनी चाहि। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 23.7.21 को पेश हो।	
23.7.21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 27.7.21 को पेश हो।	
27.7.21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, समय अभाव के कारण आदेश नही लिखा जा सका। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 5.8.21 को पेश हो।	
5.8.21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान अपनी खातेदारी आराजी नं. 1400/1282 रकबा 1.1381 हैक्टेयर भूमि मे आने-जाने हेतु विपक्षी की आराजी नं. 1099 बिलानाम भूमि के उत्तर पूर्व मेड़ के सहारे सहारे 30 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की। जबकि पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज किये उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...पत. ...उभय ... पत्रावली ...21 को ... ...बत, ... लिखा ... हेतु ... की ... वकील ...खातेदारी ...381 हैक्टेयर ... की आराजी ...र पूर्व मेड़ ... का रास्ता ... की। जब ... के दौरान ...रीज किये ...ण्ड अधिकारी ... जिला भीलवाड़ा		जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट पर अध्ययन व मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा॰ का॰ अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अत: :: आदेश :: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा॰ का॰ अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का चाँदरास तेहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित हाल आराजी नं. 1400/1282 रकबा 1.1381 हैक्टेयर भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु अप्रार्थी बिलानाम की आराजी नं॰ 1099 कुल रकबा 3.4145 हैक्टेयर भूमि मे से उत्तर पूर्वी मेड के सहारे-सहारे 30 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है. 30 फीट चौड़ाई के रास्ते मे काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि [illegible] प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी [illegible] भुगतान करे। अप्रार्थी की भूमि [illegible] को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते [illegible] नक्शे मे तरमीम किया जावे। तहसीलदार माण्डल को निर्णय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की पालना भिजवाते हुए लिखा जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल जिला भीलवाडा

क्रमांक / राजस्व न्यायालय / 2021 / प्र.सं. 47/21 दिनांकः 01.4.21

प्रेषितिः

तहसीलदार माण्डल

तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

धारा 251 A राज.काश्त.अधि. 1955

अनवान रामगोपाल s/o हीरालाल जीनगर बिनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार मांडल

मुकदमान रामगोपाल s/o हीरालाल जीनगर नि. चांदरास तह मांडल

विषय– मोका रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास के जमाबंदी 2074-2077 के खसरा सं. 1400/1282 आरजियात में निम्न स्थिति स्पष्ट करे।

1. क्या उक्त अंकित आराजी नं. पर आने–जाने हेतु वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ है ?
2. क्या मोके पर रास्ते को बंद किया हुआ है ?
3. मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा पहुंच हेतु कोई अन्य रास्ता भी है ? यदि नहीं तो प्रश्नगत आराजी तक पहुंच के लघुतम मार्ग की रिपोर्ट करें।
4. वर्तमान में उक्त आराजी पर कहां से होकर जाया जा रहा है ?
5. उक्त प्रस्तावित लघुतम रास्तें में किस खसरा नं. का कितना हिस्सा आता है उक्त खसरान की वर्तमान डीएलसी दर क्या है एवं कुल अनुमानित कीमत क्या है ?
6. वर्तमान जो रास्ता है उसे हरे या ब्लू इंक से एवं जो रास्ता चाहता है उसे रेड इंक से दर्शाते हुए दोनो प्रकार के रास्ते नक्शा ट्रेस में अंकित करे।
7. मोके पर यदि कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो तो उसे भी स्पष्ट करे एवं नक्शें पर अंकित करे।
8. I.L.R. दोनो पक्षकारान् की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार की जावे ।
9. 251 A के प्रकरणों का निस्तारण 90 दिवस में किया जाना अनिवार्य है । आपकी मौका रिपोर्ट अप्राप्त होने से विधिक बाध्यता की पालना नही हो पा रही है । अतः आप अनिवार्यतः अग्रिम तारीख पेशी पर आदेश की पालना प्रस्तुत करे ।

अतः आप वस्तुस्थिति की विस्तृत रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी 23.4.21 से पूर्व इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

संलग्न –प्रा0पत्र कि छाया प्रति।

निर्धारित प्रपत्र

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested